न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या : 04 / 2015
प्रविष्टि दिनांकः 17.06.2015

1–रामस्वरूप शर्मा आत्मज जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी पचाला तहसील उनियारा हाल गुरूनानक कॉलोनी बून्दी राज0
2–धर्मेन्द्र गौत्तम आ.रामस्वरूप शर्मा निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी राज0
..... निगरानीकर्ता

बनाम

1–ग्राम पंचायत पचाला जिला टोंक
2–पंचायत समिति उनियारा कार्यालय अलीगढ जरिये विकास अधिकारी (प्रशासन स्थायी समिति)
3–नीरज शर्मा आ.देव शर्मा निवासी पचाला जिला टोंक राज0
..... अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 17.12.2014 पंचायत समिति उनियारा

उपस्थितिः (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री रमेश शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

निर्णय

दिनाक 20.11.2017

निगरानी का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि पंचायत समिति उनियारा मु0अलीगढ की प्रशासन एंव स्थापना समिति ने प्रतिपक्षी संख्या 3 के पक्ष मे शोचालय व स्नानघर बाबत पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 को विधि विरूद्व एंव अवैधानिक बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस रेस्पोडेण्ट्स की गई तथा संबंधित पत्रावली तलब की गई। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 सूचना के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा की गई।।प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त मकान निगरानीकर्ता के पूर्वजो से प्राप्त पैत्रिक सम्पति का भाग है मकान के सहारे पुरानी बनी हुई स्वामित्व व कब्जे की चबूतरी मे ही शोचालय व स्नानघर बनवाया था जिसको ग्राम पंचायत पचाला द्वारा अतिक्रमण मानकर निगरानीकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 07.05.2012 को शोचालय व स्नानघर को तोडने का निर्णय पारित किया गया था, उक्त निर्णय के विरूद्व पंचायत समिति उनियारा मे अपील पेश की गई थी जिसको उनके निर्णय दिनांक 17.12.2014 से खारिज कर दी गई। अतः पंचायत समिति उनियारा के आदेश को निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति एंव सतर्कता समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति एंव सतर्कता समिति द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा से रिपोर्ट लिये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत पचाला द्वारा उक्त अतिक्रमण को दिनांक 06.10.2015 को हटा दिया गया है। निगरानी मे कोई कार्यववाही अपेक्षित नही है। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा संबंधित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पचाला पंचायत समिति उनियारा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 07.05.2012 के विरूद्व पंचायत समिति उनियारा की प्रशासन एंव स्थापना समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रशासन एंव स्थापना समिति द्वारा निर्णय दिनांक 17.12.2014 से अपील खारिज की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत पचाला द्वारा पारित निर्णय की पालना नही करने पर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति एंव सतर्कता समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति एंव सतर्कता समिति मे प्रकरण दर्ज कर विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा से रिपोर्ट लिये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत पचाला द्वारा उक्त अतिक्रमण को दिनांक 06.10.2015 को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति उनियारा की प्रशासन एंव स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक